न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 05/2025

अनवानः जोगेन्द्र सिंह बनाम हरविन्द्र कौर आदि

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी

--निर्णय-- **दिनांक : 19.02.2025**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि प्रकरण संख्या 92/2023, अनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम हरविन्द्र कौर आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2025 को किया गया। जिसमें राजस्व ग्राम 1 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर के खाता संख्या 49/49 के मुरब्बा नम्बर 42 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह को घरू बंटवारानामा दिनांक 29.04.2016 में प्राप्त कुल 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए गए है। जबकि प्रार्थी द्वारा चक 1 ओ के खाता संख्या 50/50 के मुरब्बा नम्बर 5, 14, 19, 22, 36, 50, 51, 66/17, 66/27, 66/30 की 7.906 हैक्टेयर नहरी भूमि में 0.057 हैक्टेयर, एंव खाता संख्या 41/41 के मुरब्बा नम्बर 25 की 5.743 हैक्टेयर नहरी भूमि में 0.069 हैक्टेयर भूमि कुल 0.126 नहरी भूमि व घरू बंटवारानामा दिनांक 29.04.2016 में प्राप्त चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8 सालम-सालम एंव किला नम्बर 13 के 19 बिस्वा, किला नम्बर 14 के 19 बिस्वा भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष चाहा गया था। अतः निर्णय दिनांक 31.01.2025 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। नकल प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार धारा 152 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय या आदेशों में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतिया या किसी आकस्मिक चूक या चूक उत्पन्न हुई त्रुटियों को न्यायालय द्वारा किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.01.2025 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फैसला दिनांक 31.01.2025 को अनुतोष मुताबिक दुरूस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किए जाने बाबत अर्ज किया।

हमने अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण संख्या 92/2023, अनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम हरविन्द्र कौर आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय दिनांक 31.01.2025 का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी ''निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्व की जा सकेगी'' परन्तु प्रकरण संख्या 92/2023,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम हरविन्द्र कौर आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय दिनांक 31.01.2025 में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी अपने अनुतोष के लिए अपीलीय न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी भली-भाति साबित नहीं होने एंव सारहीन होने पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर